Rule 58 : Records to be maintained by owner or operator of godown or warehouse and transporters

(1) Every person required to maintain records and accounts in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 35, if not already registered under the Act, shall submit the details regarding his business electronically on the common portal in **FORM GST ENR-01**, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner and, upon validation of the details furnished, a unique enrollment number shall be generated and communicated to the said person.

[1]**[(1A)** For the purposes of Chapter XVI of these rules, a transporter who is registered in more than one State or Union Territory having the same Permanent Account Number, he may apply for a unique common enrolment number by submitting the details in **FORM GST ENR-02** using any one of his Goods and Services Tax Identification Numbers, and upon validation of the details furnished, a unique common enrolment number shall be generated and communicated to the said transporter:

Provided that where the said transporter has obtained a unique common enrolment number, he shall not be eligible to use any of the Goods and Services Tax Identification Numbers for the purposes of the said Chapter XVI.**]**

(2) The person enrolled under sub-rule (1) as aforesaid in any other State or Union territory shall be deemed to be enrolled in the State or Union territory.

(3) Every person who is enrolled under sub-rule (1) shall, where required, amend the details furnished in **FORM GST ENR-01** electronically on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(4) Subject to the provision of rule 56,-

(a) any person engaged in the business of transporting goods shall maintain records of goods transported, delivered and goods stored in transit by him along with Goods and Services Tax Identification Number of the registered consignor and consignee for each of his branches.

(b) every owner or operator of a warehouse or godown shall maintain books of accounts with respect to the period for which particular goods remain in the warehouse, including the particulars relating to dispatch, movement, receipt and disposal of such goods.

(5) The owner or the operator of the godown shall store the goods in such manner that they can be identified item-wise and owner-wise and shall facilitate any physical verification or inspection by the proper officer on demand.

---

1 Sub-rule (1A) inserted by Noti. No. 28/2018–Central Tax, dt. 19-06-2018 w.e.f. 19-06-2018.

नियम 58 : गोदाम या भांडागार के स्वामी और परिवहनकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख

(1) धारा 35 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अभिलेखों और लेखाओं का अनुरक्षण करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति, यदि पहले ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो वह अपने कारबार के संबंध में **प्ररूप जीएसटी इएनआर–01** सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से ब्यौरे प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत ब्यौरों के विधिमान्यकरण पर एक विशिष्ट नामांकन नंबर सृजित किया जाएगा तथा उक्त व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा।

[1][**(1क)** इन नियमों के अध्याय 16 के प्रयोजनों के लिए, एक ही स्थायी खाता संख्या वाला कोई ऐसा परिवाहक, जो एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत है, अपनी किसी एक माल और सेवा कर पहचान संख्यांक का उपयोग करके **प्ररूप जीएसटी ईएनआर–02** में ब्यौरे देते हुए विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक के लिए आवेदन कर सकेगा और दिए गए ब्यौरों का विधिमान्यकरण होने पर, विषिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक बनाया जाएगा और उसे उक्त परिवाहक को संसूचित किया जाएगा :

परन्तु जहां उक्त परिवाहक ने विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक प्राप्त कर लिया है, वहां वह उक्त अध्याय 16 के प्रयोजनों के लिए किसी भी माल सेवा कर पहचान संख्यांक के उपयोग का हकदार नहीं होगा।

(2) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पूर्वोक्त उपनियम (1) के अधीन नामांकित व्यक्ति को राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में नामांकित समझा जाएगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपनियम (1) के अधीन नामांकित किया गया है, जहां अपेक्षित हो, **प्ररूप जीएसटी इएनआर–01** में प्रस्तुत ब्यौरों का सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से संशोधन करेगा।

(4) नियम 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए–

(क) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति परिवहन किए गए, परिदान किए गए और वहन के दौरान उसके द्वारा भंडारण किए गए मालों के अभिलेखों के साथ रजिस्ट्रीकृत पारेषक और पारेषिती का उसकी प्रत्येक शाखा में माल और सेवाकर पहचान नंबर के साथ अभिलेख रखेगा।

(ख) भांडागार या गोदाम का प्रत्येक स्वामी या प्रचालक उस अवधि के संबंध में, जिसमें भांडागार में विशिष्ट माल रहे, की लेखा बहियां रखेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे मालों के पारेषण, संचलन, प्राप्ति और निपटान से संबंधित ब्यौरे हैं।

(5) गोदाम का स्वामी या प्रचालक मालों का भंडारण ऐसी रीति में करेगा कि उनकी मदवार या स्वामीवार पहचान की जा सके और मांग किए जाने पर समुचित अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए किसी भौतिक सत्यापन को सुकर बनाएगा।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 28/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 19.06.2018 द्वारा उप–नियम (1क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 19.06.2018)।